

## फॉर्म डीए2 और डीए3

बैंक जमा के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 'जेडए' और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 2(5) और 2(6) के अंतर्गत निरसन और रूपांतरण.

मैं/हम ..... (नाम और पता)

एतद द्वारा (जमा राशि का विवरण दें) के संबंध में.....

..... (नाम और पता) के पक्ष में किया गया नामांकन रद्द करता/करती हूँ/करते हैं और एतद द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता/करती हूँ/करते हैं जिन्हें मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में उपर्युक्त जमा राशि वापस की जा सकती है.

+चूँकि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, अतः मैं/हम श्री/श्रीमती/कुमारी .....

(नाम	और	पता	और
आयु).....			

को नामांकित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति की ओर से जमा राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

स्थान:

\*जमाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

दिनांक:

गवाह (गवाहों) का/के नाम, हस्ताक्षर और  
पता (पते) @

\*जहाँ किसी अवयस्क के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन के निरसन/रूपांतरण पर अवयस्क की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने के अधिकारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए.

+ अगर नामांकित व्यक्ति अवयस्क नहीं है तो इसे काट दिया जाना चाहिए.

@ अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

\$ अगर रूपांतर की आवश्यकता नहीं है तो संबंधित भाग को काट दें.